

प्रेषक

एस०के०दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

- (1) अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग - २

देहरादून दिनांक : २९ मई, 2008

विषय:- सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विभिन्न सेवाओं में स्थानान्तरण एक आवश्यक व्यवस्था है जो प्रशासन, समाज व सरकारी सेवा सभी के हित में है। सुप्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारी के कार्य में निष्पक्षता तभी संभव है जब कार्मिक अपने अधिकार क्षेत्र में सेवाभाव के साथ-साथ सुप्रशासन कार्य न्यायिक दृष्टि को समान रूप से रखते हुए करें। इस हेतु यह आवश्यक है कि तैनाती के स्थान पर कर्मचारी के ऐसे संबंध या लगाव न हो जिससे उसे विवेक पूर्ण निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव या दबाव पड़े। स्थानान्तरण नीति इसी उद्देश्य से बनाई जाती है और विशेष परिस्थिति में इस सामान्य नियम के अपवाद भी है। उत्तराखण्ड राज्य का अधिकतम भू-भाग पर्वतीय क्षेत्रों से आच्छादित है इसमें भी अधिकतम भू-भाग दुर्गम स्थानों में स्थित है जहाँ स्थित विभागों की स्थिति सुगम स्थानों में कार्य कर रहे कार्मिकों से भिन्न होती है। अतः उत्तराखण्ड में सुगम तथा दुर्गम स्थानों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेशों को अवक्षित करते हुए निम्नवत स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है :-

- (1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रत्येक विभागवार स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाय, जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायं। शासन स्तर पर अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, एफ०आर०डी०सी० शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण/ परिवर्तन/ निरस्तीकरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। समिति इस प्रकार प्राप्त समस्त

प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत संबंधित कार्मिकों के स्थानान्तरण करने की संस्तुति करेगी और उस संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

(2) स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों से 03 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायेंगे और प्राप्त विकल्पों को स्थानान्तरण समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) वार्षिक स्थानान्तरण सुगम क्षेत्रों में कुल अधिकारी/कर्मचारी संख्या के 20 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे और दुर्गम क्षेत्रों में कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे, और यदि निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो समूह 'क एवं ख' के लिए मात्र 00 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण के समय यह भी ध्यान में रखा जाय कि दुर्गम स्थानों में सुगम स्थानों की अपेक्षा यथा संभव रिक्तियाँ अधिक न हो। यदि दुर्गम स्थानों में रिक्तियाँ अधिक हैं तो उन्हें भरने के लिए सुगम क्षेत्रों की 20 प्रतिशत की स्थानान्तरण सीमा को प्रशासकीय विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है। विभागों द्वारा सेवा संवर्गों की आवश्यकता एवं उनकी कार्यप्रणाली एवं क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुगम एवं दुर्गम स्थानों में ही किया जायेगा।

1—सुगम एवं दुर्गम स्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग अपने विभाग के कार्य एवं मानदण्डों के आधार पर निर्धारण करेंगे।

2—सामान्य स्थानान्तरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाये:-

- (1) सामान्य अवधि पूरी होने पर परन्तु, सबसे अधिक समय से कार्यरत कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए।
- (2) पदोन्नति पर।
- (3) रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु।
- (4) प्रतिनियुक्ति से वापसी पर।
- (5) स्वयं के व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण पर।
- (6) दुर्गम स्थानों में रिक्तियों की पूर्तियों हेतु।

3—तैनाती की सामान्य अवधि:-

प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरणों को छोड़कर तैनाती की अवधि निम्नतः निर्धारित की जाती है:-

- (1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के लिए विभिन्न स्थानों में एक जिले में समर्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि, सुगम क्षेत्र के लिए सामान्यतः 03 वर्ष परन्तु अधिकतम् 05 वर्ष होगी। दुर्गम क्षेत्रों में सामान्यतः

अवधि 02 वर्ष एवं अधिकतम् 03 वर्ष होगी। एक जिले में तैनात अधिकारी को पुनः उसी जिले में 05 वर्ष से पूर्व किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा। अपवाद स्वरूप उक्त अवधि 03 वर्ष होगी।

- (2) समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए एक स्थान पर तैनाती की सामान्य अवधि 03–05 वर्ष होगी। यद्यपि पदों की आवश्यकता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु संवेदनशील पदों पर किसी भी कार्मिक को किसी भी दशा में 03 वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा।
- (3) राज्य के पर्वतीय जनपदों में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में 03 वर्ष से पूर्व सुगम क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।
- (4) तैनाती अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के मई माह के अन्तिम दिवस को मानकर की जायेगी।
- (5) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान में निर्धारित अवधि के बाद भी स्वेच्छा से रहना चाहता हो और रिक्ति को भरने के लिए प्रतिस्थानी की कमी हो, तो उसे दुर्गम स्थान में निरन्तर रखा जा सकता है।
- (6) इन दुर्गम स्थान में फिक्स टेन्यूर पूरा करने के पश्चात उनकी इच्छानुसार 05 ऐच्छिक जगहों पर उनसे स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगा जायेगा तथा उन्हीं जगहों में से किसी स्थान पर तैनात किया जायेगा।
- (7) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने के लिए मात्र दो वर्ष ही रह गये हों तो उन्हें उनकी इच्छानुसार तीन विकल्पों में से एक में तैनात किया जायेगा।

4. श्रेणीवार कार्मिकों की तैनाती के स्थान:-

- (1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, लेकिन गैर संवेदनशील पद तथा दुर्गम स्थानों पर तैनाती में इस प्रतिबन्ध से छूट सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा दी जा सकती है।
- (2) शिकायत/प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 03 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा।
- (3) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके जिले में ही तैनात किया जा सकता है, किन्तु समूह 'ग' के प्रशासकीय

पदधारकों के स्थानान्तरण जनपद के बाहर भी किये जा सकते हैं। बशर्ते कि उक्त कार्मिकों के संवर्ग, मण्डल/प्रदेश स्तर पर निर्धारित किये जाते हों। चूंकि कई विभागों में समूह 'ग' के संवर्ग अलग-अलग हैं। अतः विभाग समूह 'ग' के संवर्ग के अनुसार भी मानक निर्धारित कर सकते हैं।

गृह स्थान का तात्पर्य ऐसे गांव/हल्का/तहसील आदि से है, जिसका यह मूल निवासी हो।

- (4) तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को 03 वर्ष के अन्तर पर दूसरी सीट पर तैनात कर दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें प्रत्येक सीट का कार्य करने का अवसर मिल सके। दुर्गम क्षेत्रों में यह अवधि 05 वर्ष अधिकतम की जा सकती है।
- (5) समूह 'घ' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जायेगा।
- (6) सम्बन्धित कार्मिकों की प्रार्थना पर किये जाने वाले पाररपरिक स्थानान्तरणों में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (7) नैनीताल मुख्यालय एवं तहसील, हल्द्वानी, देहरादून (चक्राता तहसील को छोड़कर) हरिद्वार तथा उधमसिंह नगर में जिला प्रशासन के पदों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अधिकारी को निरन्तर 10 वर्ष से अधिक अवधि अतिरिक्त अन्य पदों पर की गयी सेवाओं को उक्त अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (8) यदि कोई अधिकारी उक्त स्थानों/जनपदों में किन्हीं पदों पर 10 वर्ष की कुल अवधि पूर्ण कर चुके हों तो, तुरन्त उसका स्थानान्तरण उक्त स्थान/जनपद से कर दिया जायं तथा किसी भी दशा में 05 वर्ष की समाप्ति तक पुनः उन्हीं जनपदों में कदापि तैनात नहीं किया जायं। जो अधिकारी ऐसे स्थानों/जनपदों में एक पद पर 03 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, उनका भी उक्त पद/स्थान से स्थानान्तरण कर दिया जायं।

5. प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण:-

- (1) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरुचि न लेने आदि के आधार पर ही आवश्यक पुष्टि के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जायं।
- (2) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से "मोटिवेटेड" शिकायतों के आधार पर अथवा 'कैज्जली' न किये जायं।
- (3) उक्त स्थानान्तरणों में प्रशासनिक आधार पर अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

6. विभागाध्यक्षों/मण्डलायुक्तों/मण्डलस्तरीय अधिकारियों के स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना:-

- (1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण इस हेतु गठित स्थायी समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे परन्तु जहाँ विभागाध्यक्ष का पद नहीं है वहाँ समूह 'ख' के अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे।
- (2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिक, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना है, का स्थानान्तरण जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर किये जायेंगे। ऐसी समितियों में अधिकारी पदेन नामित किये जायेंगे और एक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित पदेन अधिकारी भी सदरस्य होंगे, की संस्तुति के आधार पर किये जायेंगे।

7. मार्गदर्शक सिद्धान्तः-

- (1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।
- (2) यदि पति-पत्नी सरकारी सेवा में हो, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किया जाय।
- (3) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।
- (4) प्रतिकूल तथ्य न होने पर, दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है तथा समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है।

8. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-

- (1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि तथा यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को

तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जाय ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के कार्यमुक्त होने की तिथि के पश्चात उसका वेतन आहरित न करें।

- (2) दुर्गम क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें।
- (3) स्थानान्तरित कार्मिकों के किसी प्रकार का अवकाश का प्रार्थना पत्र स्वीकार न किया जाय।
- (4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाय तथा उन्हें 02 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित रखा जाय।
- (5) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

9. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाय। परन्तु लगातार 05 वर्ष की अधिक अवधि तक एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से व्यवहृत होंगे। यदि कोई सरकारी सेवक निरन्तर मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव रहता है, तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने की छूट की अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी।

10. स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी:-

- (1) शासन रत्तर, विभागाध्यक्ष रत्तर, एवं जिला रत्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 15 जून तक पूर्ण किये जाय। 15 जून के उपरान्त कमेटी द्वारा विचारोपरान्त शासन रत्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु समूह 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों के लिए विभागीय मंत्री के माध्यम से मात्र मुख्य मंत्री जी

का अनुमोदन तथा समूह 'ग' तथा 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

- (2) यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशेषताओं के क्रम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो सकारण प्रस्तुत कर मुख्य सचिव एवं मां मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

11. स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिशः—

- (1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पत्नी अथवा अन्य संबंधितों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।

- (2) स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय।

- (3) यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने स्थानान्तरण को रोकने के लिए ख्ययं प्रत्यावेदन दिया जाता है तो ऐसे प्रत्यावेदनों पर स्थानान्तरण हेतु गठित कमेटी द्वारा ही विचार किया जायेगा।

12. चार्ज नोटः—

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को कार्य की जानकारी होने में समय लगना स्वाभाविक है। अतः स्थानान्तरित नोट बनायेंगे, ताकि स्थानान्तरण के फलस्वरूप आये नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा होगी। उस चार्ज नोट की एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

- 13-1. यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत लागू रहेगी। लोक हित में तथा विशेष परिस्थिति में इस नीति अथवा नीति के आधार पर कियान्वयन में किसी भी परिवर्तन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

13-2. रथनान्तरण नीति के पैरा-6 में उल्लिखित व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए०एस०), भारतीय पुलिस सेवा (आई०पी०एस०) एवं पी०सी०एस० तथा पी०पी०एस० अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

14- उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
मुख्य सचिव ।

संख्या:-५८८(1)Y XXX(2) 2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— सचिव श्री राज्यपाल ।
 - 2— सचिव, विधान सभा ।
 - 3— समर्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
 - 4— समर्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
 - 5— सचिवालय के समर्त अनुबाग ।
 6. ✓ अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संधुक्त सचिव ।